

**25.09.2023**

पुकार करायी गयी। पेश हुआ। बार-बार पुकार के बावजूद अपीलार्थी व उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत सिविल अपील, अपीलार्थी के उपस्थित न आने के कारण निरस्त की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

जिला न्यायाधीश  
बाराबंकी।